

CMS
2021-00068
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम



श्री. नेमाराज

हलका ~~श्री. क. व. न. सि. ए.~~

पुत्र श्री. ~~व. न. सि. ए.~~ जाति ~~मा. अ. वि. कार~~

निवासी ~~श्री. क. व. न. सि. ए.~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 65 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका श्री. क. व. न. सि. ए. ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2021 में मौजा श्री. क. व. न. सि. ए. के खसरा नंबर 27/3 रकबा 800 व. फी. किस्म भूमि अ. मु. पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई और सायल उपस्थित। पीछलीन अधिकारी उपकीर्ण कार्य हेतु जोधपुर पत्रावली दि. 18-01-2021 को पेश है। 11-01-2021	 नेमाराज
18/01/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल में जवाब हेतु समय चाहा जा दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश है। तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर	 नेमाराज

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके ककील से उपस्थित होकर जवाब देना समझाया जा रहा है। दिनांक 10-02-2021 को पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश है।

गठवर्धन

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठालीन अधिकारी माण्ड ड्यूटी पर स्थित पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।
10-2-2021

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना सुनिश्चित भवित दिनांक 22-2-2021 को पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

21-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब हेतु ब्यर - ब्यर भ्रमण दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गैर सायल को अनिश्चय मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार है। निर्णय अला से लिया जाकर सायल पत्रावली है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दायिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर